# प्रेस नोट

पूर्णियाँ 2 मई। पूर्णियाँ जिला के मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी, जो नियोजित शिक्षक है, अपने वेतनमान के मुद्दे पर हड़ताल पर है, जिसके कारण प्रारूप प्रकाशन के पूर्व एन.ई.आर. पी.ए.पी. के तहत किये जाने वाले कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

विदित हो कि सभी मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वे अपना निर्वाचन संबंधी प्रभार सौंपे बिना किसी भी दशा में अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। स्थानान्तरण/अवकाश की स्थिति में भी उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना है कि वे ससमय अपने प्रतिस्थानी को निर्वाचन संबंधी कागजात, अभिलेख एवं पंजियाँ हस्तगत करा देंगे। अतः उनके द्वारा कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में उनके स्थान पर किसी अन्य को बी0एल0ओ0 के रूप में नियुक्त करते हुए सभी निर्वाचन संबंधी कागजात, अभिलेख एवं पंजियाँ हस्तगत कराना सुनिश्चित कराया जाये। यदि इसमें संबंधित बी0एल0ओ0 द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत नोटिस निर्गत करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है।

ज्ञातव्य हो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 B (2) के अंतर्गत बी0एल0ओ0 की नियुक्ति सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के बीच से की जाती है। बी0एल0ओ0 पर किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग की निर्वाचक सूची के संधारण की जिम्मेवारी होती है। बी0एल0ओ0 निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण से संबद्ध होते हैं, अतः इस हेतु वे भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाते हैं एवं भारत निर्वाचन आयोग के अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन रहते हैं। निर्वाचन कर्त्तव्य में किसी प्रकार की लापरवाही होने पर बी0एल0ओ0 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत दंड के पात्र होंगे। सुलभ संदर्भ हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 का उद्धरण निम्नवत् है :–

*"32 निर्वाचक नामावलियों की तैयारी आदि से संसक्त पदीय कर्त्तव्यों का भंग——(1) यदि कोई शिक्षक/बी0एल0ओ0 जो किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि से संसक्त या किसी प्रविष्टि को उस निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने या उससे अपवर्जित करने से संसक्त किसी पदीय कर्त्तव्य के पालन के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, ऐसे पदीय कर्त्तव्य के भंग में किसी कार्य या कार्यलोप का दोषी युक्तियुक्त हेतुक के बिना होगा, तो वह (कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किन्तु दो वर्ष की हो सकेगी, और जुर्माने से) दंड़नीय होगा।"*

उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में सभी संबंधित को यह निदेश दिया गया है वे यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचन/निर्वाचक सूची संबंधी किसी भी कार्य में कोई व्यवधान नहीं हो।

2/5/18

जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी
पूर्णियाँ।